“प्रशासन गांवो के संग अभियान – 2021”

Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर

सरकार बनाम भूपराम आदि

किस्म मुकदमा:– धारा अन्तर्गत 131 व 132 एलआरए   नं. मुकदमा.......10....... /2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07/02/022	तहसीलदार लूनकरनसर से ग्राम/चक कालू के मुरबा /खसरा नम्बर 2559/1354, 1353,1352,1325,1324,1320,369 मे से होकर सार्वजनिक रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्राप्त हुआ । प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।	

प्राप्त रास्ता प्रकरण का अवलोकन किया गया जिसमें अंकन किया गया है कि मौके पर सार्वजनिक आवागमन के रूप में रास्ता चालू हैं। अतः राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1957 के नियम 58,59,60 व 86 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार लूनकरनसर के द्वारा अभिशंषित संलग्न प्रस्तावानुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेश में दर्ज खातेदारान की खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित प्रचलित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार लूनकरनसर को आदेश दिया जाता है कि संलग्न प्रस्ताव निम्नानुसार हैं–

क. सं	मु. नम्बर /ख.न.	रकबा बीघा में	किस्म भूमि	खसरावार रकबा जो रास्ते के काम आ रहा हैं।	नाम खातेदार
1	2559/1354	6.25	बा.1	0.04	भूपराम पुत्र शिवलाल वगै. जाति जाट सा. नेतेवाला तह. व जिला गंगानगर हाल सा. गल्लूवाली तह. खाजुवाला खातेदार
2	1353	4.81	बा.1	0.15	ईशरदास पुत्र गोदुदास जाति स्वामी सा. नाथवाना तह. लूनकरनसर खातेदार
3	1352	13.40	बा.1	0.17	सेवासिंह पुत्र लालसिंह वगै. जाति जटसिख सा. खरलिया तह. सुरतगढ जिला गंगानगर खातेदार
4.	1325	6.82	बा.1	0.15	रूकमादेवी पत्नी बृजलाल जाति जाट सा. किसनासर खातेदार
5.	1324	2.45	बा.1	0.05	बृजलाल पुत्र मेघाराम जाति जाट सा. किसनासर खातेदार
6.	1320	11.31	बा.1	0.26	[illegible] पुत्र [illegible] जाति जाट सा. दे[illegible] तारानगर खा[illegible]
7.	369	5.54	बा.1	0.16	उदनाथ पुत्र अर्जुननाथ जा[illegible] नाथ सा. ईह खातेदा[illegible]

उक्त कृषिभूमि बाबत राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तकरण [illegible]ते को पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुऐ रास्ते के रकबे की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे एवं नक्शे में तरमीम की जावे। गैर मुमकिन रास्ते की भूमि सम्बन्धित खातेदारान के खाते में ही रहेगी एवं तहसीलदार लूनकरनसर द्वारा भेजा गया प्रस्ताव व नक्शा आदेश का भाग रहेंगे। तदानुसार तहसीलदार लूनकरनसर को राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु आदेश जारी हो। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2022.06.20 15:45:35 IST
Reason: SelfAttested